

## लोको पायलट अनुदेश क्रमांक 02/2024

संदर्भ: A) CEE(OP) Instruction No.07/2024 dated 22/03/2024

B) CEE/OP. L. No. L.326.OP./Circulars/instructions/23 on dated 22.03.2024

A) विषय: लोको परिचालन के दौरान LP/ALP द्वारा अनावश्यक कागजी कार्य को रोकना।

रेलवे बोर्ड ने उपरोक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से निर्देश दिया है कि लोको परिचालन के दौरान अनावश्यक सभी कागजी कार्रवाई को रोका जाए। साथ ही, लोको पायलट/असिस्टेंट लोको पायलट (एलपी/एएलपी) को सलाह दी जाती है कि वे केवल उसी समय आवश्यक कागजी कार्रवाई करें, जब वे लोको परिचालन के दौरान किसी महत्वपूर्ण गतिविधि तथा सिग्नल संकेत को देखने आदि में व्यस्त न हों।

रेलवे बोर्ड के उपरोक्त निर्देशों के आधार पर, यह निर्देश दिया जाता है कि लोको पायलट को लोको परिचालन के दौरान किसी भी प्रकार की अनावश्यक कागजी कार्रवाई में शामिल न हो तथा "स्टेशन पार करने का समय" और "गाड़ी चलने के दौरान देखी गई असामान्यताओं" को असिस्टेंट लोको पायलट द्वारा उस समय दर्ज किया जाये, जब वह सिग्नल के पास न पहुंच रहा हो। जब ट्रेन खड़ी हो तो लॉग बुक में प्रविष्टियाँ ALP द्वारा भरी जा सकती हैं।

B) विषय: MEMU में कार्यरत लोको पायलटों के लिए आवश्यक निर्देश।

यह देखा गया है कि MEMU पर काम करने के दौरान, MEMU लोको पायलट और गार्ड के बीच SR.4.51-1 के अनुसार निर्धारित घंटी कोड संकेतों का पालन नहीं किया जाता है। अतः सभी MEMU लोको पायलटों को निर्देश दिया जाता है कि वे SR 4.51-1 के अनुसार घंटी कोड का कड़ाई से पालन करें।

नोट : सभी लोको निरीक्षकों को निर्देश दिये जाते हैं कि फुट प्लेट के दौरान MEMU लोको पायलट SR 4.51-1 के अनुसार, जहां भी आवश्यक हो, निर्धारित घंटी कोड संकेतों का पालन कर रहे हैं या नहीं सुनिश्चित करें।

मध्यरेल

मंडल कार्यलय

टी.आर.ओ, विभागनागपुर

सं : नाग/टीआर/ओ/संरक्षा-/LP INST/25

दिनांक :22.03.2024

प्रतिलिपि : मु.वि.इंजी (परिचालन)/सी.एस.टी.मुंबई को सूचनार्थ।

: उप.मु.वि.इंजी(परिचालन./सी.एस.टी.मुंबई को सूचनार्थ।

: व.मं.सं.अधिकारी नागपुर को सूचनार्थ।

:सभी मुख्य कर्मी.नियंत्रक :समस्त रनिंग कर्मचारी को सूचित कर पावती लें।

: मुख्य लोको निरीक्षक : नामित लोको पायलटों को काउन्सलिंग कर पावती हेतु।

: चा.प्र.के/अजनी : प्रशिक्षण में शामिल करने हेतु।

:मु.क.लो.नि नागपुर: को सूचनार्थ

22/03/24  
व.मं.वि.इंजी./टी.आर.ओ/नागपुर